


**Press Note**

**Name of Event: Legal Consultation on Girl's Education**


**Date: 09-05-2021**

यह कार्यक्रम कानूनी परामर्श कानूनी ढांचे और मौजूदा नीतियों का आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के लिए लिंग के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह रिपोर्ट परामर्श के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में बताया गया कि सरकारों को लिंग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के कार्यान्वयन और प्रवर्तन को बढ़ाना चाहिए। लैंगिक समस्याएँ पैदा करने वाले सांस्कृतिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को चुनौती देने के लिए जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दें। लड़कियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में निवेश करें। शिक्षा में लिंग-आधारित भेदभाव से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए लड़कियों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता और सहायता प्रणाली प्रदान करना इत्यादि पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा हुई। इनवर्टिस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वाई डी एस आर्य ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा न केवल मौलिक मानवाधिकारों का मामला है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कानूनी परामर्श मौजूदा कानूनों और नीतियों को लागू करने, जागरूकता बढ़ाने और लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालने वाली प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि सभी लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और अपनी क्षमता को पूरा करने का अवसर मिले। कार्यक्रम में कानून विभाग के डीन, विभागाध्यक्ष और अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

(Press note sent to Amar Ujala & Dainik Jagran 09-05-2021)



**Coordinator**

  
Registrar  
Invertis University  
Bareilly